संख्या: शिक्षा–केजीआर (ए–4)/ऑडिट पैरा/2015–16/खंड द्वितीय
कार्यालय उप निदेशक उच्च शिक्षा,
कांगडा स्थित धर्मशाला।
दिनांक: धर्मशाला–176215

Dy. Director of Higher Education
06 SEP 2024
No. 5999-6003
Kangra at Dharamshala

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक रा0 व0 मा0 / उ0 पा0 ज़िला कांगडा, (हि0 प्र0)।

विषय: – **तदर्थ समिति की दूसरे चरण की बैठक में असमायाजित लम्बित लेखा परीक्षा एंव निरीक्षण टिप्पणी व पैरों के समायोजन की चर्चा बारे।**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के संबध में शिक्षा निदेशालय उच्चतर, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र No. EDN-HE(5)C(15)-323/2020-21(Audit) Dated 29 June,2024, 27 August, 2024 और इस कार्यालय के पत्र NO: EDN-KGR (A-4) /Audit Para/2015-16/ Vol-II/2809-11 Dated 2nd July, 2024 के संदर्भ में आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि शिक्षा विभाग (उच्चतर) शिक्षा के AGHP (Audit) से संबधित सभी लम्बित असमायोजित पैरों के समायोजन के लिये तदर्थ समिति की बैठक के दूसरे चरण का आयोजन **दिनांक 28.10.2024 से 29.10.2024** को निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में किया जाना है।

तदर्थ समिति के पहले चरण की बैठक में उच्चाधिकारियों द्वारा यह अनुभव किया गया है कि, शिक्षा विभाग उच्चतर (शिक्षा) के अधीनस्त कार्यालयों से अधिकतर इस बैठक में ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों को बैठक में भाग लेने हेतु भेजा गया था जिन्हें पैरों के संबध में उचित जानकारी ही नहीं थी और ना ही पैरों से संबधित सहायक दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध थे। जबकि इस संबध में पहले ही निदेशालय द्वारा इसकी अनुपालना करने कि लिये बार–बार निर्देश दिये गये हैं, इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि कुछ अधीनस्त कार्यालयों से तो इन बैठकों में भाग ही नहीं लिया गया जबकि उनके कार्यालय में पुराने लम्बित पैरे असमायोजित पड़े हैं। और फलतः इस बैठक के दौरान केवल नाममात्र पैरों को ही इसके समायोजन के लिये समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसलिये, इस संबध में सभी संबधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने–2 कार्यालयों के असमायोजित लम्बित लेखा परीक्षा एंव निरीक्षण प्रतिवेदनों पर ठोस कार्यवाही करें तथा आगामी बैठक के दौरान संबधित समस्त आहरण एंव संवितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर ऐसे सभी लम्बित पैरों को लेखा परीक्षा व निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियों के साथ चर्चा में अपेक्षित कार्यवाही करने के लिये प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि आगामी दूसरे चरण की तदर्थ समिति की बैठक में ज्यादा से ज्यादा पैरों को समिति के समक्ष इसके समायोजन के लिये प्रस्तुत किया जा सके।

अतः सभी संबधित आहरण एवं वितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि आगामी होने वाली बैठक में केवल महालेखाकार कार्यालय के लेखा परीक्षाओं के निरीक्षण प्रतिवेदनों के असमायोजित पैरों को ही इसके समायोजन के लिये प्रस्तुत करें और जो पैरे पिछली बैठक या इसके अतिरिक्त पहले ही समायोजित हो चुकें हैं उन्हें दोबारा प्रस्तुत ना किया जाए। तदर्थ समिति की पहले चरण की बैठक के दौरान समायोजित हुये पैरों की सूची को जल्द ही शिक्षा निदेशालय कार्यालय से अनुमोदन उपरान्त आपको सूचित कर दिया जाएगा।

उप निदेशक उच्च शिक्षा,
कांगडा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या: सम– दिनांक धर्मशाला– 176215 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि: –

1. शिक्षा निदेशालय उच्चतर, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001 को उनके उपरोक्त पत्र संख्या: तथा दिनांक के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) कार्यालय उप निदेशक उच्च शिक्षा, कांगडा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी/अधीक्षक, शाखा ए–1 (आंतरिक), कार्यालय उप निदेशक उच्च शिक्षा, कांगडा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी कम्पयूटर प्रकोष्ट पत्र को विभागीय बैबसाईट में अपलोड़ करने हेतु।
5. रक्षक नस्ति ।

उप निदेशक उच्च शिक्षा,
कांगडा स्थित धर्मशाला